तारीख हुक्म	**न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां राज0** **हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज** **बउनवान ओमप्रकाश बनाम अब्दुल सलीम उर्फ सल्लू** **परिवाद प्रकरण संख्या–29 / 2023**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.2026	परिवादी के अधिवक्ता उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली रहे। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने एक परिवाद न्यायालय समक्ष दिनांक 13.03.2023 को इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त ने परिवादी को विधिक ऋण के दायित्व हेतु **चैक संख्या 000068, दिनांकित 17.01. 2023, खाता संख्या 34190200000072, राशि 4,00,000 / – रूपये, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा अंता, जिला बारां राज0** का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया जिसे परिवादी ने सिकारने हेतु अपने बैंक में पेश किया। उक्त चैक संबंधित बैंक द्वारा **''Funds Insufficient''** के रिमार्क से अनादरित कर दिनांक 21.01.2023 को परिवादी को वापिस लौटा दिया गया जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 25.01.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त के सही पते पर प्रेषित किया जो दिनांक 31.01.2023 को मूल लिफाफा मय ए.डी. सहित इस नोट के साथ कि '' नोटिस लेने से इंकार कर दिया, अतः वापिस '', परिवादी को वापिस प्राप्त हो गया। अतः इस बात की पूरी–पूरी सम्भावना है कि मुलजिम, परिवादी के द्वारा प्रेषित किए गए नोटिस की तामील से बचने के लिए वहॉ नहीं मिला हो। पराक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881–धारा–138–नोटिस की तामील–जब पंजीकृत डाक से नोटिस भेज दिया जाता है तथा इस पृष्ठांकन के साथ लौट आता है कि 'प्राप्तकर्ता ने लेने से इन्कार किया' या 'घर पर उपलब्ध नहीं है' या 'घर बन्द है' या 'दुकान बन्द है' या 'प्राप्तकर्ता बाहर चला गया', 'प्राप्तकर्ता बार बार जाने पर भी नहीं मिला' या 'प्रेषिति स्थान पर नहीं है' या 'अब यहॉ पर नहीं रहते है' तो उचित तामील मान ली जायेगी। अतः यह उपधारणा किए जाने के पर्याप्त आधार हैं कि परिवादी द्वारा प्रेषित किए गए नोटिस की मुल्जिम को जानकारी थी एवं बाद जानकारी उसने चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया। एक माह के पश्चात् यह उपधारणा की गई कि अभियुक्त के नोटिस की तामील हो चुकी है। नोटिस की सूचना के बावजूद अभियुक्त ने चैक राशि का भुगतान 15 दिन के अन्दर परिवादी को नहीं किया। नोटिस की अवधि खत्म होने के एक माह के अन्दर दिनांक 13.03.2023 को परिवाद पत्र पेश कर दिया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में जारी किया गया चैक, बैंक का रिटर्न मीमो, विधिक नोटिस की प्रति, डाक रसीद आदि पेश की है, जिनसे प्रथमदृष्ट्या परिवादी के कथनों की पुष्टि होती है। परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने सशपथ परिवाद पत्र के अभिवचनों की पुष्टि की है। **..... 2 पर**	

परिवादी ने स्वयं को धारा 200 सीआर.पी.सी. के तहत परीक्षित कराया तथा उक्त बयान में भी, परिवादी से अभियुक्त द्वारा घरेलू कार्य एवं पारिवारिक कार्य हेतु चार लाख रूपये उधार लिये जाने का एवं जिसकी एवज में 4,00,000/—रूपये का चैक दिये जाने का कथन किया है। ऐसे में, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से, प्रथमदृष्ट्या अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते है। अतः **अभियुक्त अब्दुल सलीम उर्फ सल्लु पुत्र अब्दुल अजीज, निवासी मतीन भाई का मकान, भैरूपाड़ा, बोहरों का मौहल्ला, अंता, पुलिस थाना अंता, तहसील अंता, जिला बारां राज0** के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण नियमित फौजदारी के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इण्डियन बैंक एसोशियसन के मामले में चैक संबंधित मामलों में शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये है, प्रायः ऐसा देखा गया है कि सम्मन के मामलों में ना के बराबर तलबी मुलजिम हो पाती है व समय नष्ट होता है ऐसे में न्यायालय मामले के शीघ्र निस्तारण के लिये जमानती वारण्ट मात्र 500/—रूपये जो अत्यंत अल्प राशि है, से जारी करना उचित समझता है। परिवादी द्वारा धारा—204 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना करने पर एवं नियमानुसार तलवाना पेश होने पर अभियुक्त को जरिये जमानती वारण्ट 500/—रूपये से तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी अभियुक्त हेतु दिनांक 30.04.2026 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां राज.